अपील निरस्त | हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ नगर निगम की अपील की निरस्त

38 वर्ष से सेवा देने वालों की नियुक्ति अवैध व अनियमित नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जो 38 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, वे अवैध-अनियमित नियुक्ति के दायरे में नहीं रखे जा सकते। जिस पर नगर निगम जबलपुर की अपील निरस्त की जाती है। युगलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता जबलपुर नगर निगम के कार्यालय में आए और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने लगे। उनकी नियुक्ति नगर निगम में कार्यरत तत्कालीन सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई थी और यह नियुक्ति लगभग 38 वर्षों से जारी है। नगर निगम लगभग लंबे समय से सेवाएं ले रहा है, इस स्तर पर कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता।

मामले में अनावेदक अजय कुमार सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर निगम ने यह अपील हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा प्रतिवादियों के हक में सुनाए गए राहतकारी आदेश के विरुद्ध दायर की है। एकलपीठ ने अपने आदेश में अजय कुमार सहित अन्य की मांग स्वीकार कर ली थी। साथ ही निर्देश दिया था कि 16 मई 2007 की नीति और 29 सितंबर 2014 के स्पष्टीकरण के अनुसार 60 दिन के भीतर सेवाओं में नियमित करें। 1986 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति के बावजूद उनसे अपेक्षाकृत कनिष्ठ नियमित कर दिये गये, किंतु उन्हें पक्षपात का शिकार बनाकर वंचित कर दिया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त मत के साथ ननि की अपील निरस्त कर दी।

अर्जित अवकाश का 60 दिन में करें भुगतान : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि 270 दिन के अर्जित अवकाश का भुगतान 60 दिन में करें। याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी राम जीवन वर्मा की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व शुभंकर सोनकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 10 अप्रैल 1981 को एलडीटी के पद पर आदिम जाति कल्याण विभाग में नियुक्ति हुई थी। पाच सितंबर 1988 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नति हुई। 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्ति हुई। उस समय सेवा-पुस्तिका में 270 दिन का अर्जित अवकाश शेष था। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। जिस कारण चार सितंबर 2024 को आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल को अभ्यावेदन दिया गया। जिसमें कहा गया कि हरीश साहू, नवल किशोर, रमेशचंद, विजय कुमार खरे, लखनलाल राठौर, बैजनाथ गुंजबार को जैसे लाभ दिया, वैसे ही दिया जाये। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।

नकली डेयरी उत्पाद मामले में किशन मोदी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने नकली डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री के आरोप के मामले में गिरफ्तार गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर किशन मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है। जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।

गायत्री फूड्स मिल्क मैजिक ब्रांड के तहत डेयरी उत्पाद बनाती है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी ने दूध से प्राकृतिक फैट निकालकर उसकी जगह पाम आयल व अन्य पदार्थों का उपयोग किया तथा तैयार उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा। ईडी की जांच में दावा किया गया है कि इस कथित कारोबार से लगभग 20 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। किशन मोदी को 13 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान किशन मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे व प्रियंकुश जैन ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह मामला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष था, लेकिन उनके स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया था। जिसके बाद मामला जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ को सौंपा गया था।

रांझी जलशोधन संयंत्र परिसर में 52 लाख की लागत से बनेगा नया फायर स्टेशन

रांझी क्षेत्र के नागरिकों को मिली बड़ी सौगात

नवभारत,जबलपुर। रांझी और आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में नगर निगम लगातार अग्रसर है। राँझी जलशोधन संयंत्र परिसर में लगभग 52 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक फायर स्टेशन के निर्माण कार्य का महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' एवं कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने भूमिपूजन कर शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर महापौर ने कहा कि इस नए फायर स्टेशन के बनने से क्षेत्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति या अग्निकांड के दौरान बेहद कम समय में राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा, जो स्थानीय नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। भूमिपूजन के दौरान केन्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्ट विधानसभा क्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे सभी नागरिकों के लिए यह बड़ी सौगात है। इसके लिए श्री रोहाणी ने नगर निगम एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को धन्यवाद दिया।

नगर निगम महापौर और विधायक का आभार

स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और क्षेत्रीय विधायक के इस प्रयास की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राँझी क्षेत्र में लंबे समय से एक समर्पित फायर स्टेशन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस सौगात से अब आपातकालीन सेवाओं के लिए शहर के मुख्य हिस्से पर निर्भरता कम होगी और सुरक्षा का दायरा मजबूत होगा। भूमिपूजन के दौरान नगर निगम के अध्यक्ष रिकुंज विज, एम.आई.सी. सदस्य विवेक राम सोनकर, दामोदर सोनी, पार्षद अनुराग दाहिया, संतोषी ठाकुर, सावित्री शाह गोड, एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

ओएफके में धमाके के साथ फटा डेटोनेटर, एक कर्मचारी गंभीर

नवभारत,जबलपुर। आयुध निर्माणी खमरिया में गुरूवार को उस वक्त हड़कम्प मच गया, जब फिलिंग सेक्शन में धमाके के साथ डेटोनेटर फट गया। डेटोनेटर फटने से एक कर्मचारी गंभीर रुप से घायल हो गया, जिसे ओएफके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ है जब कर्मचारी प्रथमेश ठाकुर अपने काम में जुटा था। खबर है कि आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) में फिलिंग अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी प्रथमेश ठाकुर डेटोनेटर में फीलिंग कर रहा था, इस दौरान डेटोनेटर धमाके के साथ फट गया। हादसे में प्रथमेश की दाहिनी ऊंगली में चोटें आईं हैं।

वहीं डेटोनेटर के फटने की आवाज सुनकर फीलिंग सेक्शन में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कम्प मच गया, देखते ही देखते सभी लोग दौड़कर पहुंच गए, जिन्होने प्रथमेश को देखा तो अधिकारियों को खबर देते हुए तत्काल ओएफके अस्पताल पहुंचाया। जहां पर घायल कर्मचारी प्रथमेश की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद फीलिंग सेक्शन में कुछ देर के लिए काम बंद हो गया था। घटना की खबर मिलते ही फैक्टरी के वरिष्ठ अधिकारी भी निजी अस्पताल पहुंच गए थे, जिन्होने डॉक्टरों से कर्मचारी प्रथमेश की हालत के बारे में जाना।

टिकट बुक कर अतिरिक्त राशि में बेच रहा था कैफे संचालक, गिरफ्तार

जबलपुर, नवभारत। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जबलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया है आरोपी पर रेलवे ई-टिकटों की अवैध बुकिंग कर उन्हें अतिरिक्त राशि लेकर बेचने का आरोप है आरपीएफ ने उसके कब्जे से 1 लाख 24 हजार 549 रुपये मूल्य के 74 रेलवे ई-टिकट बरामद किए हैं। इसके साथ ही टिकट बुकिंग में उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आरपीएफ पोस्ट जबलपुर प्रभारी राजीव खरब के निर्देशन में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ 2 जून को रांझी क्षेत्र

में स्थित एक साइबर कैफे पर छापामार कार्रवाई की रेलवे को लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई जांच के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, जिसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।

करता था अवैध कमाई

पूछताछ में आरोपी की पहचान न्यू शोभापुर कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सुमित झा के रूप में हुई, जो सन साइबर कैफे का संचालन करता है जांच में सामने आया कि वह एमपी ऑनलाइन की सुविधा के साथ-साथ अपनी छह निजी आईआरसीटीसी यूजर आईडी का उपयोग कर व्यावसायिक स्तर पर रेलवे टिकट बुक कर रहा था आरोप है कि वह तत्काल और कन्फर्म टिकट की जरूरत वाले यात्रियों से टिकट के वास्तविक मूल्य के अतिरिक्त 50 से 100 रुपये तक वसूल कर अवैध कमाई कर रहा था वही आरपीएफ द्वारा कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करने पर 74 ई-टिकट बरामद हुए इनमें छह लाइव टिकट थे, जबकि 68 टिकट पहले से बुक किए जा चुके थे. सभी टिकटों का कुल मूल्य 1.24 लाख रुपये से अधिक पाया गया अधिकारियों का कहना है कि यह गतिविधि लंबे समय से संचालित होने की आशंका है और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क भी हो सकता है।

शुरू हुई जांच, खंगाले जा रहे रिकॉर्ड

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी केवल नकद लेनदेन तक सीमित नहीं था वह ऑनलाइन वॉलेट, यूपीआई और विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भी भुगतान प्राप्त करता था इसी कारण आरपीएफ ने उसके बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है अधिकारियों का मानना है कि वित्तीय रिकॉर्ड से इस अवैध कारोबार की वास्तविक सीमा का पता चल सकता है पूछताछ में आरोपी ने रेलवे ई-टिकटों का अवैध कारोबार करने की बात स्वीकार की है इसके बाद उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया।

रिमझिम बारिश से भीगा शहर, आंधी, वर्षा का येलो अलर्ट

जबलपुर। शहर में गुरूवार को सुबह से ही मौसम के कई रंग देखने को मिले। सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई, तीखी धूप और उमस ने लोगों को बेहाल किया, वहीं दोपहर होते-होते मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में सूरज और बादलों के बीच आंख-मिचौली का खेल शुरू हो गया। शाम ढलने से पहले ही काले बादलों ने शहर पर डेरा डाल दिया। तेज ठंडी हवाओं के चलने के साथ ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तपती गर्मी से परेशान नागरिकों को बड़ी राहत मिली। शाम को हुई इस बारिश से देखते ही देखते शहर की सड़कें और चौक-चौराहे पानी से तर-बतर हो गए। 7.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बीते चौबीस घंटे के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है।

मौसम विभाग की माने तो दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरूवार को को दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व अरब सागर के शेष भागों, पश्चिम-मध्य एवं पूर्व-मध्य अरब सागर के कुछ भागों, संपूर्ण लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल एवं माहे, कर्नाटक के कुछ भागों, तमिलनाडु, कोमोरिन क्षेत्र के शेष भागों, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य एवं उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। आगामी 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। जिसके असर से शहर भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा।

कई इलाकों में बिजली गुल

मौसम बदलने और तेज हवाएं चलने का असर शहर की बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा। हवा और बारिश के शुरू होते ही अधारताल, गोहलपुर, घमापुर, रसल चौक, नेपियर टाउन, आनंद नगर, बेलबाग, हनुमानताल समेत कईक्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। बिजली विभाग की टीमें फॉल्ट सुधारने और आपूर्ति बहाल करने के काम में जुट गई थी।

ऐसा रहा तापमान

गुरूवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 51 और शाम को 83 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं 7 से 8 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

ये सिस्टम है सक्रिय

मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पाकिस्तान एवं उससे सटे क्षेत्रों पर समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी के बीच ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में स्थित है। एक प्रेरित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण, मध्य पाकिस्तान एवं उससे सटे क्षेत्रों पर समुद्र तल से 1.5 किमी तक विस्तृत है। एक द्रफ, मध्य पाकिस्तान एवं उससे सटे क्षेत्रों पर स्थित प्रेरित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण से दक्षिण-पूर्व अरब सागर तक समुद्र तल से 1.5 किमी तक फैली हुई है। मध्य उत्तर प्रदेश एवं उससे सटे क्षेत्रों पर समुद्र तल से 1.5 किमी तक विस्तृत ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

उमरिया से जबलपुर पहुंचे पीड़ितों ने लगाई गुहार, कलेक्टर ने लिया एक्शन, 3 .86 का कराया भुगतान

वन विभाग के बीट गार्ड ने मजदूरी मांगने पर 25 श्रमिकों को डराया धमकाया

जबलपुर । मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की कुंडम परियोजना मंडल के चिरापोंडी परिक्षेत्र की बलिवाड़ा बीट के कम्पार्टमेंट क्रमांक-154 में कंटूर ट्रेंच, पौधारोपण के लिये गड्ढे करने के काम में लगे उमरिया जिले के लगभग 25 श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान रोकने के साथ उन्हें डराया धमकाया गया । पीड़ित कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और उमरिया जिले के 25 श्रमिकों को न केवल बकाया मजदूरी का मौके पर ही 3 लाख 86 रूपए का भुगतान किया गया, बल्कि उन्हें भोजन कराने के बाद बस से उमरिया तक पहुंचाने की व्यवस्था भी श्रम और वन विभाग के अधिकारियों को करनी पड़ी।

क्या है मामला

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की कुंडम परियोजना मंडल के चिरापोंडी परिक्षेत्र की बलिवाड़ा बीट के कम्पार्टमेंट क्रमांक-154 में कंटूर ट्रेंच, पौधारोपण के लिये गड्ढे करने के काम में लगे उमरिया जिले के लगभग 25 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने का था। इन श्रमिकों से काम तो करा लिया गया लेकिन मजदूरी का बड़ा हिस्सा वन विभाग के बीट गार्ड द्वारा रोक लिया गया था। बकाया राशि माँगने पर श्रमिकों को डराया-धमकाया भी जा रहा था।

कलेक्ट्रेट पहुंचे थे पीड़ित परिवार

मजदूरी की इसी बकाया राशि को दिलाने की मांग को लेकर श्रमिक परिवार जनों सहित कलेक्टर से मिलने मंगलवार दो जून की दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुये न केवल श्रमिकों से भेंट की बल्कि उनकी समस्या को ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त को फौरन कलेक्टर कार्यालय आने और वन विभाग से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों को तुरंत उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान कराने के निर्देश दिये।

उमरिया तक पहुंचाने की व्यवस्था

इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर सिंह की संवेदनशीलता एक बार और तब दिखाई दी जब उन्होंने इन श्रमिकों और उनके साथ आये बच्चों को इंडियन कॉफी हाउस से बुलवाकर भोजन कराया, उमरिया तक पहुंचाने के व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर की सख्ती को देख हरकत में आये श्रम और वन विभाग के अधिकारियों ने उमरिया जिले के इन श्रमिकों को 3 लाख 86 हजार रूपये की बकाया मजदूरी का भुगतान किया। साथ ही श्रमिकों और उनके परिवारजनों को रात हो जाने की वजह से बस से उमरिया तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई।

यात्रियों से जबरन वसूली करने वाले किन्नर गिरफ्तार

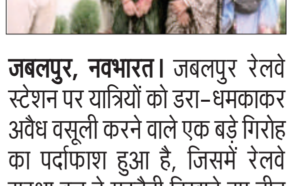

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीन किन्नरों को रंगे हाथों दबोचा है। स्टेशन परिसर और ट्रेनों में आतंक मचाने वाले इन आरोपियों की पहचान सुनैना 20 वर्ष, मोनू 20 वर्ष, आशिकी 32 वर्ष, बेलमकोन्डा दिनेश उर्फ बी. नीलीमा 43 वर्ष निवासी आंध्र प्रदेश, किन्नर गुरु 42 वर्ष निवासी इटारसी और बबली 52 वर्ष के रूप में हुई है। आरपीएफ ने इन सभी के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें शर्तों के साथ बंधपत्र पर रिहा किया गया। बता दे कि रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक अरविंद सिंह और आरक्षक प्रवीण उपाध्याय स्टेशन के कटनी छोर पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनरल कोच और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से जबरन रुपयों की मांग कर रहे हैं और मना करने पर विवाद कर रहे हैं। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी करके तीन आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया, जिससे स्टेशन पर मची अफरा-तफरी शांत हुई। पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर हैं जो वलसाड-पुरी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों के अनारक्षित कोचों में घुसकर यात्रियों को प्रताड़ित करते थे। यह गिरोह पिछले लंबे समय से सतना, कटनी, जबलपुर और इटारसी रूट पर सक्रिय था।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57